[15/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 2620]

पारि – एक
अता. क्र. 2620

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ 1–16/2009/20-1

भोपाल, दिनांक 25/5/11

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
6. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,

मध्यप्रदेश.

विषय:– अध्यापक संवर्ग को अंशदायी पेंशन योजना में सम्मिलित करने के संबंध में।

--0--

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि म.प्र. पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 तथा म.प्र. नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के अधीन कार्यरत अध्यापक संवर्ग को अंशदायी पेंशन योजना निम्नलिखित अनुसार लागू की जाए :–

1. अध्यापक संवर्ग के लिए अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन विस्तृत निर्देश जारी करने के उपरांत दिनांक 01.04.2011 से यह योजना शासकीय शालाओं में नियुक्त सभी अध्यापकों (वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक) के लिए अनिवार्य होगी।
2. इस योजना को लागू करने के संबंध में स्थानीय संस्था यथा पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा इस संबंध में पृथक से भी विनिर्दिष्ट किया जायेगा, इस विनिर्दिष्टिकरण आदेश में संबंधित निकाय समानुपातिक अंशदान की कटौत्री अनुदान मद से करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण / आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को अधिकृत करेंगे।
3. इस योजना के अंतर्गत मूल वेतन + महंगाई भत्ते की 10 प्रतिशत राशि कर्मचारी के मासिक अंशदान के रूप में वेतन देयक से सीधे काटी जायेगी। रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।
4. अध्यापक संवर्ग की सेवा में उपस्थित होते ही निर्धारित पंजीयन प्रपत्र में स्वयं से संबंधित जानकारी / विवरण यथा नाम, वेतनमान, जन्मतिथि, नामांकन तथा नामांकित व्यक्ति के ... में जानकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी / संकुल प्राचार्य को उपलब्ध

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

15.अध्यापक संवर्ग के लिए प्रस्तावित अंशदायी पेंशन योजना के लेखों के रख-रखाव हेतु N.S.D.L. के साथ किये जाने वाले अनुबंध के अनुसार N.S.D.L. को खाता संधारण का वार्षिक शुल्क तथा प्रति अंतरण शुल्क का भुगतान भी किया जायेगा। यह व्यय भार प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी के खाते के NAV (नेट एसेट वेल्यू) के विरूद्व समायोजित किया जायेगा।

16.अध्यापक संवर्ग के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण तथा आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को नोडल कार्यालय बनाते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

25/5

(के.आर. उपाध्याय)
अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 25/5/2011

पृष्ठां क्रमांक/एफ 1-16/2009/20

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, मान. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, मान. राज्यमंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल।
9. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
10. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
12. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

अवर

25/5

//2//

5. संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्देश के
अनुसार संबंधित अध्यापक से पंजीयन एवं अन्य संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में
प्राप्त करेगा। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का यह दायित्व भी होगा कि वह अंशदायी
6. संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को पूर्ण करायेगा।
पेंशन योजना से संबंधित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करायेगा। यथा स्थिति
7 जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा निर्धारित
जिले की जानकारी को एकजाई कर प्रत्येक माह की 15 तारीख के पहले
समिति / एजेंसी को यह जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। के अतिरिक्त अन्य
8. अध्यापक संवर्ग के अंशदान की गणना में कटोत्रा हेतु महगाई भत्ते को शामिल नहीं किया जायेगा।
किसी भी प्रकार के भत्ते / विशेष वेतन आदि को शामिल नहीं किया जायेगा। द्वारा प्रत्येक
9. उपरोक्तानुसार अंशदान की राशि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक अंशदान के साथ
माह के वेतन से काटी जायेगी। इस काटी गई राशि को नियोक्ता अंशदान के साथ द्वारा किया जाकर
आहरण आयुक्त लोक शिक्षण / आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा किया जाकर
इस बावत खोले गये पृथक बैंक खाते में रखा जाएगा। का कार्य एन.एस.डी.एल
10 इस योजना के अंतर्गत विस्तृत अभिलेखों के रख-रखाव का कार्य एन.एस.डी.एल
(National Securities Depository Limited) द्वारा किया जायेगा। नये खाते आवंटन की
11. अध्यापक के स्थानांतरण / संविलियन आदि की स्थिति में नये खाते आवंटन की
आवश्यकता नहीं होगी एवं पूर्व में खोला गया खाता निरंतर रहेगा। की स्थिति में अथवा
12. अध्यापक संवर्ग की असामयिक मृत्यु, सेवा से पृथक किये जाने की स्थिति में अथवा प्रक्रिया पृथक से
त्यागपत्र देने की स्थिति में अंतिम भुगतान की कार्यवाही से संबंधी प्रक्रिया पृथक से
निर्धारित की जायेगी। द्वारा निवेश किये जाने पर
13. जमा राशि पर योजना के प्रावधान के अनुरूप फण्ड मैनेजरों द्वारा निवेश किये जाने पर अन्य भुगतान देय
प्रतिफल प्राप्त होगा। इस राशि पर शासन द्वारा कोई ब्याज अथवा अन्य भुगतान देय
[illegible] को N.S.D.L. द्वारा ऑनलाईन सुविधा के
14 इस योजना में सम्मिलित सभी कर्मचारियों को N.S.D.L. द्वारा ऑनलाईन सुविधा के
[illegible] से वार्षिक लेखा की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग